(वाद संख्या–518/15)

17.02.2020

परिवादीगण में से सुनील कुमार तथा मुकेश कुमार उपस्थित हैं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा, श्री विभेष आनन्द, अपने कनीय अभियन्ता, मनरेगा के साथ उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना व प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला ग्राम पंचायत, आनन्दपुर के वार्ड संख्या–7 स्थित महादलित टोला में निर्माणाधीन नाली और सड़क (गली) ढलाई का कार्य बाधित रहने तथा निर्माणाधीन नाली के कई जगह से क्षतिग्रस्त होने से संबंधित है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त कथित रविदास टोला (चमर टोली) में नल–जल का कार्य एक माह में पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित नाली–गली का निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

परिवादी का मौखिक कथन है कि अभी भी निर्माणाधीन नाली के तीन–चार चैम्बरों का सीमेन्टेड ढ़क्कन टूटा हुआ है। लेकिन परिवादी यह स्वीकार करते हैं कि टोला के घरों के पानी के निकास को निर्माणाधीन नाली से जोड़ा जा चुका है तथा निर्माणाधीन नाली में पानी का प्रवाह रूकता नहीं है तथा सड़क पर पानी ओवर फ्लो भी नहीं हो रहा है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित मनरेगा के कनीय अभियंता सदानन्द सिंह ने आयोग को सूचित किया कि जे0सी0बी0 के आने–जाने से एक–दो जगह के चैम्बर का सीमेन्टेड ढ़क्कन क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि नाली निर्माण के पश्चात् जब गली की ढ़लाई की जायेगी, तो उस समय क्षतिग्रस्त सभी ढ़क्कनों को ठीक कर दिया जायेगा।

उपरोक्त आश्वासन से उपस्थित परिवादीगण भी संतुष्ट हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

आज पारित आदेश से प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा व परिवादीगण को भी सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक